अंजू चौधरी

नारी एवं नीर

नारी सृष्टि की सूत्रधार एवं संचालिका है तो नीर जीवन का पालक एवं संरक्षक है। वेदों एवं पुराणों में नारी को देवी रूप में तथा जल को देवता रूप में पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में दोनों को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। दोनों के अटूट सम्बन्ध के कारण ही भारत की अधिकतर नदियों के नाम नारियों के नाम पर हैं यथा गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, काली, कोसी, तापी, नर्मदा इत्यादि। आधुनिक युग में नारी एवं नीर दोनों को ही आवश्यकता है उचित देखभाल एवं पोषण की, जिससे दोनों ही निरंतर जीवन एवं प्रकृति का पालन अबाध गति से करती रहें। वैसे तो जल की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी को है तथापि इसके संरक्षण का भार केवल मानव के कंधों पर है। जल के संकट से उबरने के लिए प्रत्येक आयु वर्ग एवं प्रत्येक क्षेत्र में लगे नर एवं नारी को अपनी भागीदारी निभानी होगी।

नारी एवं नीर दोनों ही शब्द एक जैसी समानता रखते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। प्रकृति की दो महान संरचनाएं हैं नारी और नीर। नारी सृष्टि की सूत्रधार एवं संचालिका है तो नीर जीवन का पालक एवं संरक्षक है। वेदों एवं पुराणों में नारी को देवी रूप में तथा जल को देवता रूप में पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में दोनों को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। दोनों के अटूट सम्बन्ध के कारण ही भारत की अधिकतर नदियों के नाम नारियों के नाम पर हैं यथा गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, काली, कोसी, तापी, नर्मदा इत्यादि। आधुनिक युग में नारी एवं नीर दोनों को ही आवश्यकता है उचित देखभाल एवं पोषण की, जिससे दोनों ही निरंतर जीवन एवं प्रकृति का पालन अबाध गति से करती रहें। भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं घटते जल संसाधनों ने जल का संकट उत्पन्न कर दिया है। वर्ष दर वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होती जा रही है। जो जल वर्ष 1955 में प्रति व्यक्ति 5300 घन मीटर था वह वर्ष 1996 तक 2200 घन मीटर रह गया तथा वर्ष 2020 तक इसके 1600 घन मीटर तक रह जाने की संभावना है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब जीवनदायी जल पीने को भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। वैसे तो जल की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी को है तथापि इसके संरक्षण का भार केवल मानव के कंधों पर है। जल के संकट से उबरने के लिए प्रत्येक आयु वर्ग एवं प्रत्येक क्षेत्र में लगे नर एवं नारी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। वर्तमान में भारत की आबादी लगभग 134 करोड़ है, वर्ष 2030 तक 153 करोड़ पहुंचने की सम्भावना है। यदि 50 प्रतिशत से कम आबादी भी महिलाओं की है तो भी लगभग 60 करोड़ महिलाएं हैं। अतः बिना इनकी भागीदारी के जल का प्रबंधन पूर्णतः सफल नहीं हो सकता।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में तजाकिस्तान में आयोजित संगोष्ठी में कहा था कि "पेय जल के एकत्रण का सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं एवं लड़कियों पर पड़ता है तथा इस मूलभूत सुविधा के अभाव में उनकी शिक्षा एवं सामाजिक उत्पादकता प्रभावित होती है। अतः जल के समुचित प्रबंधन के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत

आवश्यक है''। शहरी क्षेत्रों में जहां एक ओर महिलाएं जल के उचित प्रबंधन से जल प्रदूषण पर रोक लगा कर उसका संरक्षण कर सकती हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं जल के उचित उपयोग एवं जल स्रोत तक उनकी पहुंच जैसी मुख्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर जल प्रबंधन में अपनी अहम् भूमिका निभा सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के एकत्रण का सबसे अधिक बोझ महिलाओं पर पड़ता है।

पौराणिक काल में नीर एवं नारी

पुराणों में नारी नर की सहचरी थी उसे भी पुरूष के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। घर परिवार एवं समाज में वह आदर की पात्र थी। प्रत्येक धार्मिक एवं पारिवारिक कार्य में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी। ईसा से 500 साल पूर्व, वैयाकरण पाणिनि द्वारा पता चलता है कि नारी, वेद अध्ययन भी करती थी तथा स्त्रोतों की रचना करती थी जो 'ब्रहम वादिनी' कही जाती थी। इनमें रोमशा लोपामुद्रा, घोषा, इन्द्राणी नाम प्रसिद्ध हैं। 'पतंजलि' ने तो नारी के लिए 'शाक्तिकी' शब्द का प्रयोग किया गया है; अर्थात 'भाला धारण करने वाली'। इससे प्रतीत होता है, कि नारियां सैनिक शिक्षाएं भी लिया करती थी और पुरूषों की भांति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती थी। नारियों को विशेष रूप से गृह कार्य, ललित कला, संगीत, नृत्य आदि में शिक्षा दी जाती थी। जिससे परिवार संभालने के साथ-साथ सामाजिक, राजनैतिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा लेती थी। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक थी। वृक्ष की पूजा, पशु पक्षियों एवं अन्य वन्य प्राणियों के प्रति भी उसमें स्नेह का भाव था। जल के प्रति उसमें आदर का भाव था। गंगा पूजन, कुओं की पूजा, तालाब की पूजा इसी बात के प्रतीक हैं। प्राचीन काल में वर्षा जल का भण्डारण कुओं, तालाब, बावड़ी, पोखरों के माध्यम से किया जाता था। जल की इन संरचनाओं से जल लाने एवं उसकी उचित देखभाल की जिम्मेदारी नारी की ही थी, नारी इन अवसंरचनाओं की देखभाल में अपना पूरा सहयोग देती थीं परन्तु वैदिक काल में अपनी विद्वत्ता के लिए सम्मान पाने वाली नारी के अधिकारों का पतन होता गया जिसके फलस्वरूप वह घर की चारदीवारी में ही सीमित हो गयी। उसका सीधा असर उसकी शिक्षा पर पड़ा जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास की कमी आई एवं उसने सामाजिक कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया। जिसका असर पर्यावरण पर भी पड़ा एवं वह प्रदूषित होने लगा।

आधुनिक काल में नीर एवं नारी

21वीं शताब्दी में नारी की नई छवि उभर रही है। नारी प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अन्तरिक्ष में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला हो या भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख अरूंधति भट्टाचार्य। नर्मदा बचाओ आन्दोलन की मेधा पाटकर एवं चिपको आन्दोलन की गायत्री देवी इन सबने ये साबित कर दिया है कि आधुनिक युग में भी नारी प्रज्ञावान होने के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति भी सचेत है। वैसे तो आज की नारी अनेक क्षेत्रों में अपनी भूमिका को उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचा रही है। नीर के सन्दर्भ में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सीमित है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है अधिकतर नारी ही परिवार की पालिका होती है, सुबह से ही खाना पकाने, बर्तन एवं कपड़े धोने, सफाई करने एवं नहाने के कार्य करने में उसे सर्वप्रथम जल की आवश्यकता होती है यदि उसकी कमी हो तो इसका सीधा एवं सबसे ज्यादा प्रभाव भी नारी की कार्य क्षमता पर पड़ता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक विकासशील देशों में जल संग्रहण की जिम्मेदारी महिलाओं या छोटे बच्चों की होती है। अर्धशुष्क, शुष्क क्षेत्रों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जल की कमी है वहां उसके दिन का आधा भाग जल के प्रबंधन में ही चला जाता है। ऐसे इलाकों में पानी लाने के लिए औरतों एवं बालिकाओं को मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है जिसके कारण समय के साथ-साथ उनके जीवन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल प्रबंधन की भेंट चढ़ जाता है। जिसका सीधा असर उनकी शिक्षा, आय उत्पादन, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक प्रक्रिया पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जल का प्रयोग भवन निर्माण, पशुपालन, इंटों के निर्माण, खेती इत्यादि में प्रचुर मात्रा में होता है, इन कार्यों में भी महिलाओं की भागीदारी होती है। प्रदूषण रहित जल के भण्डारण एवं प्रबंधन के उचित तरीकों से अनभिज्ञता होने पर वह पेय जल का सुरक्षित संग्रहण नहीं कर पाती जिसके परिणाम स्वरूप कम गुणवत्ता वाले जल के प्रयोग से अनेक बीमारियां उन्हें एवं उनके परिवार को घेर लेती हैं। यदि परिवार का कोई भी सदस्य अस्वस्थ होता है तो उसका भी भार महिलाओं पर ही पड़ता है और यदि महिला ही बीमार हो जाए तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है। आधुनिक परिवेश में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता भी बढ़ रही है। यद्यपि बाढ़ से नर एवं नारी दोनों ही प्रभावित होते हैं परन्तु इसका प्रभाव नर एवं नारी पर अलग-अलग होता है। नारी की भूमिका घर में सीमित रहती है उसके पास सूचना के साधन कम होते हैं जिससे उन्हें इन आपदाओं की जानकारी देर से मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नुकसान भी ज्यादा उठाना पड़ता है। यदि महिलाएं इसके प्रति जागरूक होंगी तो वह स्वयं एवं परिवार, पशुओं, एवं खाद्यान्न को बचा सकती हैं। अतः आपदा प्रबंधन हेतु बाढ़ से बचने के लिए पूर्व तैयारी के लिए एवं पुनर्वासन की योजनाओं में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं।

नारी-नीर प्रबंधन की बाधाएं

पुरूष प्रधान समाज में नारी पर पुरूष का वर्चस्व होने के कारण उसे प्रत्येक क्षेत्र में पुरूष का विरोध झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बाधाओं ने इस क्षेत्र में नारी की भूमिका को सीमित कर रखा है।

1. **पारंपरिक प्रथाएं-** पुरूष प्रधान समाज होने के कारण अधिकतर महिलाएं

भले ग्रामीण महिलाएं कम शिक्षित हों एवं उनके पास संसाधनों की कमी हो फिर भी वे निजी स्तर पर जल को सुरक्षित एवं संरक्षित करने में व्यक्तिगत रूप से अथवा संगठित हो कर अपना योगदान दे सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल के लिए नलकूपों, कुओं, तालाबों, झीलों, झरनों, पोखरों, बावडियों, सरकारी हैण्ड पम्पों इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता है। खेती वर्षा जल एवं भू जल पर आश्रित होती है। भू–जल के अधिक दोहन से अन्य सतही जल इकाइयों का जल स्तर भी घटता जा रहा है। जिससे पेयजल के स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण के चलते उपलब्ध जल स्रोत भी अपनी उपयोगिता खोते जा रहे हैं। प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस संकट से बचने के लिए ग्रामीण महिलाओं को पेय जल के सुरक्षित भण्डारण के बारे में ध्यान देना होगा। पानी को शुद्ध करने के पारम्परिक तरीके, यथा कपड़े या रेत से छानकर, उबाल कर उसमें तुलसी के पत्ते डाल कर (तुलसी बेक्टीरिया की रोकथाम करती है), ताबें या पीतल के टोंटीदार बर्तन में रखकर, पानी में क्लोरीन की गोलियों डालकर, अपनाने होंगे।

घर की जिम्मेदारी तक ही सीमित हैं। जहां पर सरकारी प्रयासों से महिलाओं को नेतृत्व दिया जाता है वहां पर भी पुरूष उनके हाथ से जिम्मेदारी लेकर उन्हें केवल हस्ताक्षर करने तक ही सीमित कर देता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है जहां महिलाएं प्रधान अथवा पार्षद होती हैं वहां उनके पति ही अधिकतर बैठकों में भाग लेते हैं एवं निर्णय लेते हैं, महिलाओं का नाम तो केवल कागजों में ही सीमित रहता है। यदि वे उनका विरोध करती हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। पति अपनी पत्नी को सामाजिक विकास के कार्यकलापों में भाग लेने की अनुमति नहीं देते। जिसके कारण महिलाएं अपने बहुमूल्य सुझाव देने से वंचित रह जाती हैं।

2. तकनीकी शिक्षा एवं साक्षरता- भारत में नारी की साक्षरता दर पुरूष से कम है। जिससे उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का आभाव है। महिलाओं में तकनीकी शिक्षा की कमी होने के कारण आत्मविश्वास की कमी होती है जिससे वे इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाने से डरती हैं। तकनीकी ज्ञान के अभाव में उनमें जल के संसाधनों के विकास के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे वे उनको संरक्षित करने एवं प्रदूषण मुक्त रखने में अपने को असहाय महसूस करती हैं तथा जल एकत्रण को ही अपना कर्तव्य समझ लेती हैं।

3. समय का अभाव- महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारी अत्यधिक होने के कारण उन्हें घर के अनेक कार्य करने पड़ते हैं। शहरों में तो फिर भी विज्ञान ने कई सुख सुविधा के साधन नारी को देकर उनका भार कुछ हल्का किया है, परन्तु गावों में अभी भी खाना चूल्हे पर ही बनता है, कपड़े हाथ से ही धुलते हैं तथा कृषि एवं पशु पालन में मुख्य भूमिका नारी की ही होती है। जिसके कारण ना तो नारी के पास अन्य कार्यों हेतु समय बचता है और ना ही ऊर्जा बचती है। जिसके कारण भी जल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है।

4. शक्ति असंतुलन- कुछ प्रतिशत महिलाएं ही भूस्वामिनी होती हैं। खेती में जल को किफायत से कैसे प्रयोग किया जाए या कौन सी फसलें बोई जाएं जिन्हें पानी की जरूरत कम हो इत्यादि बातों से उनका सम्बन्ध नहीं रहता। भूमि विहीन होने के कारण जल के प्रबंधन से सम्बंधित मामलों जैसे जल संसाधान आबंटन या निर्णयों में उन्हें शामिल ही नहीं किया जाता।

5. मातृत्व भार- महिलाओं पर अपने बच्चों के लालन पालन एवं उनकी देखभाल की जिम्मदारी होती है। वे अपने बच्चों को अकेला छोड़ कर सामाजिक बैठकों में भाग नहीं ले सकती। जिससे उन्हें सामाजिक विकास से सम्बन्धित कार्यों से जुड़ने का मौका नहीं मिलता।

6. गरीबी- किसी भी कार्य को आरम्भ करने एवं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त एक प्रमुख घटक होता है। भारत के गांवों में महिलाएं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती हैं एवं अधिकतर धन के लिए पुरूष पर निर्भर होती हैं जिसके कारण वे आत्मविश्वास की कमी के साथ-साथ निर्णय लेने में भी असमर्थ होती हैं। धन की कमी के कारण वे आवश्यक जानकारी से भी वंचित रह जाती हैं जिसके अभाव में वह अपनी समस्या के समाधान के बारे में सोच ही नहीं पाती।

7. असुरक्षा- सुरक्षा की कमी के चलते भी गांव में बालिकाओं की आधारभूत शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। असुरक्षा के कारण सामाजिक कार्यों में वह अपनी पूरी शक्ति एवं समय से भाग नहीं ले पाती क्योंकि कई बार बैठकों का स्थान दूर होता है एवं शाम के समय दूरस्थ जगहों से घर लौटने के साधन भी उपलब्ध नहीं होते। जिसके कारण महिलाओं की भागीदारी सीमित हो जाती है।

ग्रामीण जल संकट एवं नारी की भूमिका

भले ग्रामीण महिलाएं कम शिक्षित हों एवं उनके पास संसाधनों की कमी हो फिर भी वे निजी स्तर पर जल को सुरक्षित एवं संरक्षित करने में व्यक्तिगत रूप से अथवा संगठित हो कर अपना योगदान दे सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल के लिए नलकूपों, कुओं, तालाबों, झीलों, झरनों, पोखरों, बावडियों, सरकारी हैण्ड पम्पों इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता है। खेती वर्षा जल एवं भू जल पर आश्रित होती है। भू-जल के अधिक दोहन से अन्य सतही जल इकाइयों का जल स्तर भी घटता जा रहा है। जिससे पेयजल के स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण के चलते उपलब्ध जल स्रोत भी अपनी उपयोगिता खोते जा रहे हैं। प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस संकट से बचने के लिए ग्रामीण महिलाओं को पेय जल के सुरक्षित भण्डारण के बारे में ध्यान देना होगा। पानी को शुद्ध करने के पारम्परिक तरीके, यथा कपड़े या रेत से छानकर, उबाल कर उसमें तुलसी के पत्ते डाल कर (तुलसी बेक्टीरिया की रोकथाम करती है), ताबें या पीतल के टोंटीदार बर्तन में रखकर, पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर, अपनाने होंगे। सरकारी हैण्ड पम्पों के पानी की जांच ग्राम सरपंच से मिलकर वर्ष में दो बार अवश्य करानी चाहिए। खेतों को समतल एवं मेढ़ों द्वारा बांधना चाहिए जिससे खेत का पानी खेत में रखने के साथ-साथ मिट्टी का कटाव भी रोका जा सके। तालाबों, झीलों एवं पोखरों में पशु नहलाने पर रोक लगनी चाहिए तथा खुले में शौच करना बंद करना होगा। अपनी बेटियों को साक्षर एवं बहुओं को सामाजिक विकास के कार्यों में भाग लेने हेतु उत्साहित करने में नारी अहम् भूमिका निभा सकती है। नारी संगठित होकर अपने जल संसाधनों की सुरक्षा कर सकती है एवं सरकारी निकाय को उसकी जानकारी देकर सहायता भी प्राप्त कर सकती है।

तालाबों, झीलों एवं पोखरों में पशुओं के नहलाने पर रोक लगनी चाहिए।

शहरी जल संकट एवं नारी की भूमिका

शहरी क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं शिक्षित होती हैं वह निजी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तथा देश के स्तर पर जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन में अपनी भागीदारी निभा सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता, प्रबंधन, अपशिष्ट जल का उचित निवारण इत्यादि प्रमुख मुद्दे हैं। अधिकत्तर भारतीय शहर उद्योगों, पेय जलापूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए भू जल पर निर्भर हैं। शहरों में कंक्रीट के बढ़ते जंगलों ने वर्षा के जल को भूमि में जाने से रोक दिया है। पानी की बढ़ती मांग ने धीरे-धीरे भू-जल के स्तर को घटाना आरम्भ कर दिया है। उद्योगों एवं घरों से निकले अपशिष्ट जल ने शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों को प्रदूषित कर दिया है। ऐसे में प्रदूषण से जल संसाधनों को बचाने तथा उपलब्ध जल को किफायत से प्रयोग करने की महती आवश्यकता है। महिलाएं जो घरेलू जल की प्रबन्धक होती हैं वे जल की प्रत्येक बूंद को स्वयं तो प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर ही सकती हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी एवं अपने बच्चों को इसके प्रति जागरूक भी कर सकती हैं।

महिलाओं द्वारा अपने दैनिक कार्यों यथा खाना बनाते समय सब्जियों को धो कर बचे जल को बागवानी हेतु तथा बर्तन को धोने के बाद बचे जल को शौचालय हेतु प्रयोग किया जा सकता है। कपड़ों को धोने के लिए पूर्ण स्वचालित मशीन की जगह अर्ध स्वचालित मशीन या हाथ से धो कर शेष बचे जल को घर की सफाई अथवा वाहन की सफाई में प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक से बने जैविक शौचालय का प्रयोग भी जल की बचत में लाभप्रद है। जितना कम से कम पानी घरों से अपशिष्ट के रूप में निकलेगा उतना पेय जल संकट कम होगा एवं उसको उपचारित करने में लगने वाली ऊर्जा एवं समय की भी बचत होगी। भू जल के पुनर्भरण के लिए प्रत्येक मकान में कच्ची भूमि छोड़ना अति आवश्यक है। नलों को टपकने से बचाना एवं नहाने हेतु बाल्टी का प्रयोग जैसी छोटी-छोटी आदतों को अपना कर पेय जल के संकट को कम किया जा सकता है। वर्षा जल का संरक्षण भी जल स्रोतों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही प्रयास छोटे हों पर जब अधिक से अधिक महिलाएं इस प्रयास से जुड़ेंगी तो वह एक बड़े प्रयास को बल देंगी। तकनीकी ज्ञान से संपन्न महिलाओं को जन जागृति के माध्यम से अन्य महिलाओं को इस अभियान से जोड़ना चाहिए। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह इस क्षेत्र में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करे जिससे उनके मूल्यवान सुझाव इस क्षेत्र के हित में काम आ सकें।

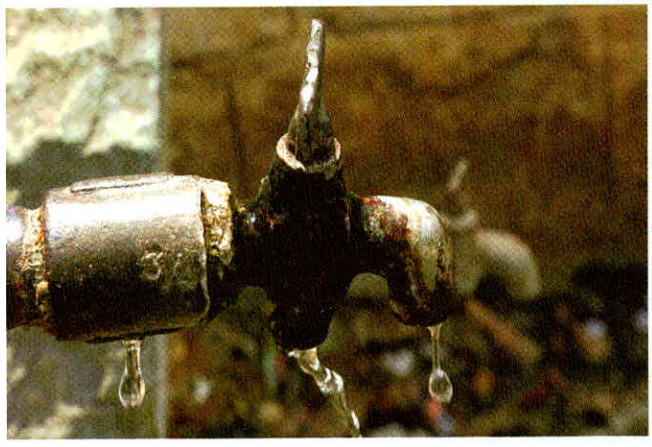

नलों को टपकने से बचाना भी है आवश्यक।

जल प्रबंधन में नारी शक्ति के लाभ

जल आपूर्ति प्रबंधन या तो सरकारी संस्थान, निजी क्षेत्र या स्थानीय समुदाय करते हैं या कभी-कभी इन तीनों की भी भागीदारी होती है। अधिकतर देशों में सामुदायिक स्तर पर जल प्रबंधन का यही प्रारूप अपनाया जा रहा है। इसमें जल की अवसंरचनाएं सरकार या गैर सरकारी संगठन द्वारा निर्मित की जाती हैं तथा उन्हें फिर स्थानीय समुदाय को सौंप दिया जाता है, जहां पर जल समिति उपभोक्ता से शुल्क लेकर उसका रखरखाव एवं संचालन करती है। राष्ट्रीय जल नीति स्थानीय जल समिति में तो महिलाओं की भागादीरी को प्रोत्साहन देती है परन्तु इसके

महिलाओं द्वारा अपने दैनिक कार्यों यथा खाना बनाते समय सब्जियों को धो कर बचे जल को बागवानी हेतु तथा बर्तन को धोने के बाद बचे जल को शौचालय हेतु प्रयोग किया जा सकता है। कपड़ों को धोने के लिए पूर्ण स्वचालित मशीन की जगह अर्ध स्वचालित मशीन या हाथ से धो कर शेष बचे जल को घर की सफाई अथवा वाहन की सफाई में प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक से बने जैविक शौचालय का प्रयोग भी जल की बचत में लाभप्रद है। जितना कम से कम पानी घरों से अपशिष्ट के रूप में निकलेगा उतना पेय जल संकट कम होगा एवं उसको उपचारित करने में लगने वाली ऊर्जा एवं समय की भी बचत होगी। भू जल के पुनर्भरण के लिए प्रत्येक मकान में कच्ची भूमि छोड़ना अति आवश्यक है। नलों को टपकने से बचाना एवं नहाने हेतु बाल्टी का प्रयोग जैसी छोटी–छोटी आदतों को अपनाकर पेय जल के संकट को कम किया जा सकता है। वर्षा जल का संरक्षण भी जल स्रोतों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही प्रयास छोटे हों पर जब अधिक से अधिक महिलाएं इस प्रयास से जुड़ेंगी तो वह एक बड़े प्रयास को बल देंगी।

नियोजन एवं प्रबंधन एवं निर्णयों में महिलाओं की राय नहीं ली जाती। जबकि यदि इन कार्यों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो जो भी नीति एवं योजनाएं बनेंगी वे कुशल एवं प्रभावी होंगी। यद्यपि इस विषय में अभी तक कोई भी व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं हुए तथापि कुछ दाहरण हैं जहां पर महिलाओं ने अपनी कुशलता से जल का उचित प्रबंधन किया है। यह भी पाया गया है कि जल प्रंबधन में महिलाओं की भागीदारी से उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि होती है एवं वे सामुदायिक स्तर पर आदर एवं सम्मान भी प्राप्त करती हैं। इससे पुरूष एवं नारी के पारस्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होते हैं तथा पारिवारिक विवाद एवं हिंसा में भी कमी आती है। प्रदूषण मुक्त पेयजल से पारिवारिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है।

सफलता की राहें

वैसे तो इस क्षेत्र में नारी की भूमिका उपरोक्त कारणों से काफी सीमित है फिर भी निम्न कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें नारी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस क्षेत्र से जुड़ी समस्या का समाधान खोजा है।

1. कंचन वर्मा जो 2005 की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उन्होंने वर्ष 2005 में फतेहपुर की जिला अधिकारी रहते हुए सूख चुकी ठीठोरा झील और ससुर खदेरी नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया। यह नदी 46 किलोमीटर लम्बी थी। उन्होंने जिला अधिकारी रहते हुए 38 किलोमीटर की खुदाई करवाई थी, जिससे झील पुराने स्वरूप में आ गयी और नदी 12 से लेकर 45 मीटर की चौड़ाई में बहने लगी। इस कार्य हेतु उन्हें वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी से सम्मान भी मिला।

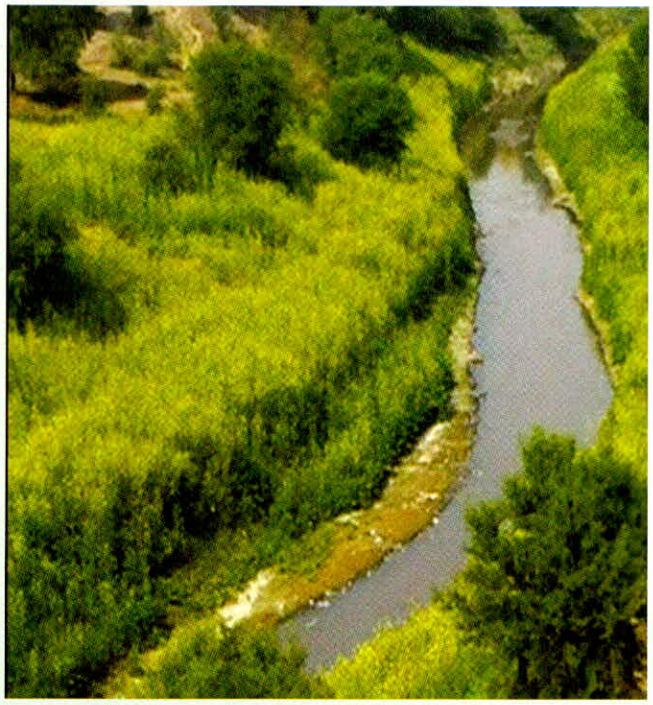

कंचन वर्मा द्वारा पुनर्जीवित ससुर खदेरी नदी।

2. भारत के उड़ीसा राज्य में हिमगिर पंचायत के अंतर्गत पोड़ा पाथर गांव की औरतों ने सामूहिक प्रयास से पेय जल की स्थिति में सुधार किया है। इससे पहले वहां की औरतों को सुबह 4 बजे से उठ कर 1 कि.मी. दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। वर्ष 2002 में गांव की पंचायत ने 2 हैण्ड पम्प भी गांव में लगाए, परन्तु उनका पानी पीने योग्य नहीं था। फिर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत 3 हैंडपंप लगवाए गए। उनका पानी भी पीने योग्य नहीं था। तदुपरांत वर्ष 2016 में आत्म शक्ति ट्रस्ट (उड़ीसा राज्य की सामुदायिक विकास करने वाली गैर सरकारी संस्था) ने वहां की महिलाओं की एक महिला संग्राम समिति गठित करने में सहायता की। इस समिति की औरतों ने पेयजल की योजना को उचित रूप से लागू करवाया। जिसमें पास के गांव से पेय जल पाइप लाइन के माध्यम से पोड़ा पाथर गांव में सफलतापूर्वक लाया जा रहा है।

3. रूपम एक 18 वर्षीय युवती है जो एक युवा सलाहकार पैनल की सदस्या है। जो कि बिहार राज्य में बाढ़ के समय की तैयारी के बारे में लोगों को जागरूक करती है। वह बाढ़ के समय अलार्म बजाकर अपने परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को सावधान करती है।

4. गुजरात के पाटन जिले में जहां वार्षिक औसत वर्षा लगभग 17.5 मि.मी. होती है, वह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष जल की कमी एवं सूखे से प्रभावित रहता था। वर्ष 1995 में सेवा (सेल्फ एम्लोयमेंट वीमेन एसोसिएशन), जिसमें 2,15,000 गरीब स्व-रोजगार वाली महिलाएं जुड़ी हैं, उन्होंने गुजरात के 9 जिलों में 10 वर्ष तक जल का अभियान चलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने 11 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, उसके 11 सदस्यों में 7 सदस्य महिलाएं थी एवं उसकी अध्यक्ष भी महिला को ही चुना गया। इस जल विभाजक प्रबन्धन समिति ने ग्राम्य स्तर पर प्राकृतिक संसाधन एवं मानव जनित संसाधनों पर सूचना एकत्र की। तदुपरांत उन्होंने उसके लिए चार वर्षीय योजना बनाई। इस योजना के तहत उन्होंने 15 नए तालाबों, 120 पुनर्भरण कूपों के निर्माण के साथ 20 तालाबों, 3 चेक डैम एवं 8 खुले कूपों का 8 विभिन्न परियोजना के माध्यम से पुनरूद्धार किया। जिसके परिणाम स्वरूप नमी एवं मृदा के संरक्षण से भूमि की लवणता में कमी आई जिससे उपजाऊ भूमि तथा आय के सतत साधन में वृद्धि हुई। इसके तहत लगभग 3,662 हेक्टेयर भूमि का उपचारण हुआ। अब उस भूमि में जैविक खेती की जा रही है। इसके साथ-साथ पंचायत की बेकार पड़ी भूमि, सामुदायिक चरागाह एवं निजी भूमि पर 5000 पेड़ लगाने के साथ-साथ हरित पट्टी का विकास किया गया। इससे 240 महिलाओं को रोजगार भी मिला एवं लगभग 2500 हेक्टेअर की जो भूमि पहले वर्षा पर आधारित थी अब उसके लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके तथा इससे उन क्षेत्रों में पेय जल की समस्या का निवारण हो सका।

निष्कर्ष

महिलाएं अपने कार्य के प्रति पुरूषों से ज्यादा समर्पित होती हैं। महिलाएं अच्छी प्रबंधक होती हैं तथा वे अपने पारंपरिक तकनीकी ज्ञान को भी प्रयोग करना बखूबी जानती हैं। आधुनिक परिवेश में महिलाओं की प्रबंधन क्षमता को निखारने के साथ-साथ उनकी वित्तीय शक्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है महिलाओं की क्षमताओं की पहचान कर उनका उपयोग करने की। वर्तमान में जल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास करने होंगे क्योंकि यदि हम अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं तो आधी आबादी, यानि महिलाओं की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं है।

संपर्क करें:
अंजू चौधरी
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की।